

प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष

(राजस्थान सार्वजनिक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 के तहत
अपीलीय क्षेत्राधिकार)

प्रकरण में :

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 38 की उपधारा-1 के तहत भिवाडी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण (बीडा) भिवाडी की विधिवत गठित समिति द्वारा जारी ऑनलाईन निविदा सूचना संख्या 10/2023-24 दिनांक 10/08/2023 के कार्य संख्या 9 के विरुद्ध मैसर्स Solsken energy LLP जरिये निदेशक अक्षय चतुर्वेदी द्वारा अपील दिनांक 06.10.2023 को प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण में :-

अपीलार्थी – Solsken energy LLP जरिये निदेशक अक्षय चतुर्वेदी, Head Office- Suite no. 101, Pahel Hotel Pvt. Ltd, C-4, Bhiwadi Industrial Area, Rajasthan, Work Office- 32, Kartarpura Industrial Area, Jaipur- 302019 (Raj.)

प्रत्यर्थी— अधिशाषी अभियंता, कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भिवाडी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण, भिवाडी

—: आदेश :-

सुनवाई दिनांक, 03/11/2023

आदेश तिथि:- 5079/03/11/23

Solsken energy LLP जरिये निदेशक अक्षय चतुर्वेदी, Head Office- Suite no. 101, Pahel Hotel Pvt. Ltd, C-4, Bhiwadi Industrial Area, Rajasthan, Work Office- 32, Kartarpura Industrial Area, Jaipur- 302019 (Raj.) द्वारा भिवाडी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण (बीडा) भिवाडी द्वारा जारी ऑनलाईन निविदा सूचना संख्या 10/2023-24 दिनांक 10/08/23 के कार्य संख्या 9 के विरुद्ध RTPP अधिनियम 2012 की धारा-38 की उप धारा -1 के तहत दिनांक 06/10/23 की प्रथम अपील अधिकारी समक्ष प्रस्तुत की।



उक्त अपील:-

1. अपील की प्रति अधिशाषी अभियंता को प्रदान की गई।
2. प्रस्तुत अपील की सुनवाई दिनांक 19.10.23 को निर्धारित की गई थी किन्तु अपीलार्थी उस दिनांक को अनुपस्थित रहे। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर आगामी सुनवाई दिनांक 03/11/23 को हुई जिसमें भी अपीलार्थी अनुपस्थित रहे।
3. अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता एवं उत्तरदाता द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की जांच की गई।
4. अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर आरटीपीपी नियमों की स्थिति निम्नानुसार रही
RTPP Section 20(1e) & 20(2) and Rule 36(2),36(2g), 36(3c), 36(3e) of rtp rules 2013 empowers procuring entity to make condition of bidding documents. Procuring entity have thus included point -5 (PF Registration) of NIT as a part of bidding document. Appellant has not submitted these desired documents thus his application was made non responsive under section 25(1a),(1b) of rtp act and rule 59(2),(4),57(b),(h-vi).
5. अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और उपापन संस्था के हितों की रक्षा के लिए वर्तमान अपील को खारिज किया जाता है। इस आदेश की प्रतियां दोनों पक्षों को जारी की जायें एवं एक प्रति नियमानुसार वैबसाईट पर प्रकाशित की जाये।


मुख्य कार्यकारी अधिकारी
भि.इं.वि.प्रा. भिवाडी